रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 423] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 28, 2011/श्रावण 6, 1933
No. 423] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 28, 2011/SRAVANA 6, 1933

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2011

सा.का.नि. 578(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कम्पनी कार्य विभाग, क्षेत्रीय निदेशक, कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रार और शासकीय समापक (समूह 'घ') भर्ती नियम, 2000 का उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रार और शासकीय समापक कार्यालयों में समूह 'ग' विविध कार्य स्टाफ पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, अधीनस्थ कार्यालय, समूह 'ग' ''विविध कार्य स्टाफ'' भर्ती नियम, 2011 होगा ।

(2) ये नियम राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतनमान अनुसूची के कॉलम (2) से (4) के अनुसार होगा ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (14) में दी गई हैं ।

4. **निरर्हता.**—कोई व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है, जिसका पति/पत्नी जीवित है, अथवा

(ख) जिसने अपने पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध में किसी वर्ग अथवा श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
विविध कार्य स्टाफ	205*(2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित गैर-अनुसचिवीय	पीबी-1 बैंड पे (5200-20200 रु.), 1800 रु. ग्रेड पे	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष टिप्पणी: आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी (जोकि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य का लद्दाख मंडल, हिमाचल प्रदेश के चमोंग जिले के लाहुअल तथा स्पिती जिला व पांगी उप-मंडल, अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं होगी।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/विलयन द्वारा तथा

	में लागू होंगी या नहीं		वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)	(11)
अनिवार्य : मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अथवा सम्बद्ध विषय में आईटीआई उत्तीर्ण	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती (कर्मचारी चयन आयोग द्वारा)

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/विलयन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/विलयन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)	(14)
लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. क्षेत्र का क्षेत्रीय निदेशक - अध्यक्ष 2. कंपनी रजिस्ट्रार/शासकीय समापक (जेएजी) स्तर- सदस्य 3. अवर सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय - सदस्य 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी का कोई अधिकारी जो भारत सरकार में अवर सचिव के स्तर से नीचे न हो - सदस्य	लागू नहीं

[फा. सं. ए-12011/18/2011-प्रशा.-II]

अविनाश कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2011

G.S.R. 578(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution and in supersession of the Department of Company Affairs, Offices of Regional Directors, Registrar of Companies and Official Liquidator (Group 'D') Recruitment Rules, 2000 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby, makes the following rules, regulating the method of recruitment to the group "C' Multi Tasking Staff posts in the Offices of Regional Directors, Registrar of Companies and Official Liquidators in the Ministry of Corporate Affairs, namely:-

1. Short Title and commencement: - (1) These Rules may be called the Ministry of Corporate affairs, field offices Group 'C' "Multi Tasking Staff" Recruitment Rules, 2011.

2 They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of Posts, classification and scale of Pay:-** The number of posts , its classification and scale of pay attached thereto shall be specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualification, etc:-** The method of recruitment to the said post, age limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said schedule.

4. **Disqualification:-** No person:-

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) Who having a spouse living has contracted into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personnel law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempts any person from the operation of these rules.

5. **Power to relax:-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. **Saving:-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Casts, Scheduled Tribes, Ex-servicemen or any other special category of persons in according with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection by merit or selection-cum seniority or non-selection-post	Whether benefit of added years of admissible under the Rule 30 of the Central Services (Pension) Rules, 1972.	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Multi Tasking Staff	205* (2011) *subject to variation depending on workload	General Central Service Group 'C', Non Gazetted, Non Ministerial	PB-1, (Rs.5200-20200), + GP Rs.1800	Not applicable	Not applicable	18 to 25 years **Note 1 :** The Crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunchal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaual and Spiti district and Pangi sub-Division of Chamong district of Himachal Pradesh Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification. Prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the post to be filled by various methods
8	9	10	11
ESSENTIAL : Matriculation or equivalent pass; OR ITI pass in relevant subject	Not applicable	Two years	By Direct Recruitment. (Through SSC in view of DOPT OM No. AB-14017/6/2009-Estt.(RR) dated 12.5.2010)

In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to b e consulted in making recruitment
12	13	14
Not Applicable	Group 'C' Departmental promotion Committee for considering confirmation 1. Regional Director of the Region – Chairman 2. Registrar of Companies/ Official Liquidator (JAG) level – Member 3. Under Secretary, Ministry of Corporate Affairs – Member 4. An Officer belonging to SC/ST category not below the level of Under Secretary to the Govt. of India - Member	Not applicable

[F. No. A-12011/18/2011-Ad.-II]

A. K. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.